

**अनुदान संख्या 22 - रक्षा पेंशन**  
**GRANT No. 22-DEFENCE PENSIONS**

	कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>		
प्रभारित-	<i>Charged-</i>	26,00	19,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>		-6,58
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>		
मूल	Original 11249,74,00	11921,74,00	11920,75,52
पूरक	Supplementary 672,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>		शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"		
पेंशन तथा अन्य	Pensions and Other		
सेवानिवृत्ति हितलाभ	Retirement Benefits		
मू.	O. 1124974.00	1192174.00	1192075.52
पु.	R. 67200.00		

(I) "रक्षा" के अंतर्गत मार्च, 2005 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत उनके सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary grant obtained in March, 2005 under "Defence" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "सेना - छुट्टी नकदीकरण"- 28348.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3961.74 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 32309.74 लाख रु.

(A) "Army- Leave Encashment" - the original provision of Rs.28348.00 lakhs was augmented to Rs.32309.74 lakhs by obtaining supplementary

कर दिया जो, यद्यपि, 1341.49 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(खा) “वायु सेन - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ”- 60804.85 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3183.57 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 63988.42 लाख रु. कर दिया गया, यद्यपि, जो 1222.47 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(II) “रक्षा” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “नौसेन - छुट्टी नकदीकरण”- 237.28 लाख रु. की बचत (2238.76 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) “वायु सेन - छुट्टी नकदीकरण”- 206.79 लाख रु. की बचत (5818.47 लाख रु. स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रत्याशा से कम होने के कारण हुईं।

2. उपर्युक्त बचतें “रक्षा” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 50% मंहगाई राहत का विलय पेंशन के साथ कर दिए जाने के कारण अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) “सेन - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ”- 951.51 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 58570.76 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1060734.26 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(खा) “नौसेन - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ”- 1959.61 लाख रु. का अधिक व्यय (मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 1383.93 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 26379.35 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

grant of Rs.3961.74 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1341.49 lakhs;

(B) “Air Force- Pensions and other Retirement Benefits”- the original provision of Rs.60804.85 lakhs was augmented to Rs.63988.42 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3183.57 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1222.47 lakhs;

(II) Under “Defence” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Navy - Leave Encashment” – saving of Rs.237.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2238.76 lakhs); and

(B) “Air Force - Leave Encashment” – saving of Rs.206.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5818.47 lakhs).

Savings under the above four heads were due to less number of retirees than anticipated.

2. The above savings were partly offset by excess under “Defence” – due to the merger of 50% Dearness Relief with Pension under the following heads: -

(A) “Army - Pensions and other Retirement Benefits” – excess of Rs.951.51 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1060734.26 lakhs including supplementary grant of Rs.58570.76 lakhs obtained in March,2005).

(B) “Navy - Pensions and other Retirement Benefits” – excess of Rs.1959.61 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.26379.35 lakhs including supplementary grant of Rs.1383.93 lakhs obtained in March, 2005).